Statement

s. No.	Name of the Society	Locality		Nature of misuse
1.	Automobile Associatioin Upper India	C-8,	Qutab Anstl. Area	Rented out to electric corn-pany.
2.	Ganesh Natya sala	C-16,	-do-	Rented out to Craft & Electronic Co.
3.	Gurunanak Foundation	A-5,	-do-	Rented out to ABS (Multi National)
4.	United School Organisation	A-13,	-do-	Rented out to Hostel facilities.
5.	Nagri Parcharini Sabha	A-16,	-do-	Rented out to Odin Apple (Computer) & SRF
6.	Institute of Socialist Education	A-l,	-do-	Rented out to Canara Bank, Restaurant & Hostel.
7.	Fertilizer Association of India	A-3,	-do-	Rented out to Rallies India.
8.	All India Federation of the Deaf	A-4,	-do-	Rented out to Wahakal Advertising Agency.

उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े मामले

335. **श्रीनागमणि**:

श्री राजनाथ सिंह:

श्रीमती मालती शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अद्यतन स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) ये मामले कब से लम्बित पड़े हुए हैं और कितने मामले स्वीकृति की अवस्था में लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या ये मामले उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी के कारण लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां,तो क्या सरकार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्वि करने का विचार रखती हैं;और

(ड़) यदि नहीं,तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

विधि,न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1.12.1995 को उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या निम्नलिखित

	नियमित मामले (फाइलों की वास्तविक सं.)	ग्रहण किए जाने वाले मामले (फाइलों की वास्तविक सं.)
	21,357	15,811

(ग) से (ड़) : उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले मुकदमों की अधिक तेजी से बढ़ती संख्या,रिट अधिकारिता का अन्धाधुन्ध सहारा लेना,रिक्तियों को भरने में विलम्ब,आदि जैसे अनेक विविध और जटिल बातों के कारण हैं । उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों,जैसे मामलों का अधिक व्यवहारिक प्रवर्गीकरण और वर्गीकरण,न्यायपीठों का स्थिरीकरण,पुराने लम्बित प्रकीर्ण और विशेष इजाजत याचिकाओं के मामलों के लिए अधिक और पर्याप्त अवसर देना,उपलब्ध कम्प्यूटर नेटवर्क का बेहतर उपयोग तथा प्रतिदिन कार्य-समय में आधे घंटे की वृद्वि,से पहले ही परिणाम दिखलाई पड़ने लगे हैं और लम्बित मामलों में कमी होने का रूझान द्रष्टव्य हैं । इस समय न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्वि किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।